

**BSES****BSES Rajdhani Power Limited**

Regd. Off.: BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi - 110019

## आम सूचना

# बिजली विवाद समाधान समिति

अपने सम्माननीय उपभोक्ताओं का उत्साह देखते हुए, बीआरपीएल में अगली बिजली विवाद समाधान समिति 1. 3. 2008 (शनिवार) को हर डिविजन में बैठेगी, ताकि मामलों की व्यक्तिगत सुनवाई की जा सके और आपकी समस्या/ विवाद का मौके पर ही समाधान किया जा सके। बहरहाल, बिजली विवाद समाधान समिति, बिजली के अनाधिकृत उपयोग/ चोरी (भारतीय कानून, 2003 की धाराओं 126 व 135 के तहत) और किसी भी अदालत/ सीजीआरएफ/ सीडीआरएफ/ फोरम में गए किसी भी मामले/ शिकायत को, यहां विचार के लिए स्वीकार नहीं करेगी।

बिजली विवाद समाधान समिति की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश/ महत्वपूर्ण हस्ती / जनता के बीच प्रसिद्ध व्यक्ति करेंगे, जिन्हें बीएसईएस के वरिष्ठ अधिकारी सहयोग करेंगे।

5 लाख रुपये तक की बिल रकम से संबंधित किसी भी बिल/ मीटर से जुड़े मामले, नये कनेक्शन/ अतिरिक्त लोड, दोषपूर्ण मीटर परीक्षण मामले, श्रेणी में बदलाव, अत्यधिक लोड/ दुरुपयोग शुल्क या अन्य शिकायत के बारे में आप आवश्यक विवरण जमा करा सकते हैं। यह आपको एक निर्धारित फॉर्म पर देना होगा। ये फॉर्म आपको बीएसईएस कस्टमर केयर सेंटर पर मिलेंगे। या फिर आप इन्हें हमारी वेबसाइट ([www.bsedelhi.com](http://www.bsedelhi.com)) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

फॉर्म डिविजन के बिजनेस मैनेजर के पास या फिर प्रमुख, कस्टमर केयर, बीआरपीएल, बीएसईएस भवन, नई दिल्ली में कम से कम 10 दिन अग्रिम जमा कराए जाने चाहिए।

पंजाब केसरी

दिल्ली

12 फरवरी, 2008

मंगलवार

स्थानीय

7

**BSES**

**BSES Rajdhani Power Limited**

Regd. Off.: BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi - 110019

**आम सूचना**

## **बिजली विवाद समाधान समिति**

अपने सम्माननीय उपभोक्तों का उत्साह देखते हुए, बीआरपीएल में अगली बिजली विवाद समाधान समिति 1. 3. 2008 (शनिवार) को हर डिविजन में बैठेगी, ताकि मामलों की व्यक्तिगत सुनवाई की जा सके और आपकी समस्या/ विवाद का मौके पर ही समाधान किया जा सके। बहरहाल, बिजली विवाद समाधान समिति, बिजली के अनाधिकृत उपयोग/ चोरी (भारतीय कानून, 2003 की धाराओं 126 व 135 के तहत) और किसी भी अदालत/ सीजीआरएफ/ सीडीआरएफ/ फोरम में गए किसी भी मामले/ शिकायत को, यहां विचार के लिए स्वीकार नहीं करेगी।

बिजली विवाद समाधान समिति की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश/ महत्वपूर्ण हस्ती/ जनता के बीच प्रसिद्ध व्यक्ति करेंगे, जिन्हें बीएसईएस के वरिष्ठ अधिकारी सहयोग करेंगे।

5 लाख रूपये तक की बिल रकम से संबंधित किसी भी बिल/ मीटर से जुड़े मामले, नये कनेक्शन/ अतिरिक्त लोड, दोषपूर्ण मीटर परीक्षण मामले, श्रेणी में बदलाव, अत्यधिक लोड/ दुरुपयोग शुल्क या अन्य शिकायत के बारे में आप आवश्यक विवरण जमा करा सकते हैं। यह आपको एक निर्धारित फॉर्म पर देना होगा। ये फॉर्म आपको बीएसईएस कस्टमर केयर सेंटर पर मिलेंगे। या फिर आप इन्हें हमारी वेबसाइट ([www.bsesdelhi.com](http://www.bsesdelhi.com)) से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

फॉर्म डिविजन के बिजनेस मैनेजर के पास या फिर प्रमुख, कस्टमर केयर, बीआरपीएल, बीएसईएस भवन, नई दिल्ली में कम से कम 10 दिन अग्रिम जमा कराए जाने चाहिए।